BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 04 नवम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर छेडछाड करने के आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 6500/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त देवा पुत्र कलुआ निवासी ग्राम अनौना थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2015 में थाना पहासू क्षेत्र निवासी एक नाबालिक लडकी के साथ छेडछाड कर कपडे फाडने व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 21.11.2015 को थाना पहासू पर मुअसं- 317/15 धारा-354ख,323,506 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 10.01.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 04.11.2023 को मा0 न्यायालय पोक्सो-02 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त देवा को 05 वर्ष का कारावास व 6500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील कुमार शर्मा व श्री महेश राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर